ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

जीविका से
जिन्दगी हुई खुशहाल
(पृष्ठ – 02)

पिंकी देवी :
योजना से मिला सहारा
(पृष्ठ – 03)

चाँदनी देवी के बेसहारा जीवन में
सतत् जीविकोपार्जन योजना
सहारा बनकर आया
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – अक्टूबर 2023 ।। अंक – 27

सतत् जीविकोपार्जन योजना : वित्तीय प्रबंधन

सतत् जीविकोपार्जन योजना बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत पूर्व में पारंपरिक रूप से शराब तथा ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े परिवारों तथा अत्यंत निर्धन परिवार के जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव लाने हेतु कार्य किया जाता है। योजना अन्तर्गत चयनित परिवार को अधिकतम दो लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस राशि से उनको उन्हीं के गाँव में या गाँव के नजदीक स्थित बाजार में रोजगार शुरू कराया जाता है। जिससे उन्हें नियमित आय होनी शुरू हो जाये और उनके परिवार का जीवन–यापन आसानी से हो सके।

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत लक्षित परिवारों द्वारा व्यवसाय शुरू करने के पश्चात लक्षित परिवारों के स्तर पर वित्तीय प्रबंधन हेतु कार्य किया जाता है तथा लक्षित परिवारों द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत प्राप्त विभिन्न प्रकार के निधियों के बेहतर प्रबंधन हेतु जीविका द्वारा विभिन्न प्रकार का क्षमता वर्धन एवं व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

चयनित सदस्य को योजना अन्तर्गत निर्धारित राशि तीन प्रकार से उपलब्ध करायी जाती है :–

(क) विशेष निवेश निधि :– इस निधि के तहत 10,000 रुपये प्रदान की जाती है, जिससे दुकान के लिए शेड, गुमटी, ठेला या अन्य उत्पादक परिसंपत्ति का सृजन किया जाता है।

(ख) जीविकोपार्जन निवेश निधि :– इस निधि से जीविका ग्राम संगठन के द्वारा दुकान हेतु सामग्रियों या परिसंपत्ति का क्रय कर उसे सदस्य को हस्तांतरित किया जाता है। इससे सदस्यों द्वारा अपना व्यवसाय शुरू किया जाता है। इस निधि के तहत सूक्ष्म उद्यम, कृषि, बकरीपालन, मुर्गी पालन तथा गव्यपालन के लिए राशि प्रदान की जाती हैं।

(ग) जीविकोपार्जन अन्तराल राशि :– रोजगार शुरू होने के पश्चात अगले सात माह तक प्रत्येक माह एक–एक हजार रुपये की जीविकोपार्जन सहायता राशि दी जाती है। इससे रोजगार से आय प्राप्ति होने के शुरुआती महीनों में घरेलू खर्च हेतु सहयोग मिल जाता है।

योजना अंतर्गत लक्षित परिवारों के स्तर पर वित्तीय प्रबंधन की रूप–रेखा निम्न है :

1. दैनिक रूप से : लक्षित परिवारों द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना नतर्गत प्राप्त विभिन्न निधियों के बेहतर प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार का क्षमता वर्धन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जिसमें व्यवसाय में वृद्धि, विविधिकरण एवं नियमित रूप से बचत शामिल है। मास्टर संसाधन सेवी (एम.आर.पी.) के सहयोग से व्यवसाय एवं उसमें हो रही दैनिक लेन–देन की जानकरियों के संधारण हेतु दैनिक रजिस्टर (दीदी की पुस्तिका) का उपयोग किया जाता है। इस पुस्तिका के माध्यम से दुकान की दैनिक खरीद, बिक्री, खर्च, पारिवारिक खर्च, ऋण, बचत इत्यादि का संधारण किया जाता है, जिसके सहयोग से व्यवसाय का दैनिक रूप से आकलन किया जाता है।

2. साप्ताहिक रूप से : एम.आर.पी. द्वारा व्यवसाय एवं साप्ताहिक लेन–देन की जानकरियों के संधारण हेतु साप्ताहिक रजिस्टर (स्टॉक पुस्तिका) का उपयोग किया जाता है। एम.आर.पी. द्वारा प्रत्येक सप्ताह जाकर लाभार्थी के व्यवसाय के वस्तु / सामान की वर्तमान स्टॉक स्थिति तथा उसके खरीद मूल्य को लिखा जाता है और उसको जोड़ कर स्टॉक रजिस्टर के माध्यम से व्यवसाय के कुल स्टॉक का आकलन किया जाता है।

3. मास्टर संसाधन सेवी (एम.आर.पी.) स्तर पर : एम.आर.पी. द्वारा लक्षित परिवार से संबन्धित सभी विवरणी को एम.आर.पी. अपने रजिस्टर पर लिखता है। एम.आर.पी. रजिस्टर से लाभार्थी तथा उसके व्यवसाय में हो रहे वृद्धि का आकलन किया जा सकता है।

4. बचत : लक्षित परिवारों द्वारा भविष्य की जरूरतों हेतु दैनिक रूप से बचत किया जाता है। इसका उपयोग लक्षित परिवारों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है:

- व्यापार का पूंजी बढ़ाने के लिए
- नया कोई कार्य शुरू करने के लिए
- व्यापार को जोखिमों से सुरक्षित करने के लिए
- भविष्य के लिए निवेश करने के लिए

जीविका और मनरेगा की मदद से बकरी शेड का निर्माण

भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड अन्तर्गत नंदलालपुर पंचायत की रहने वाली सरमा देवी को सतत् जीविकोपार्जन योजना अन्तर्गत बकरी पालन कार्य से जोड़ा गया है। बकरी पालन को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्हें मनरेगा द्वारा बकरी शेड बनवा कर दिया गया है। इससे उन्हें बकरी पालन में सुविधा हो रही है।

सरमा देवी की दयनीय स्थिति को देखते हुए प्रतिमा जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा वर्ष 2020 में उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना हेतु चिह्नित किया गया था। योजना के तहत चयन के बाद उन्हें विश्वास निर्माण एवं उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद ग्राम संगठन के माध्यम से उन्हें बकरी पालन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इसके तहत सरमा देवी को 4 बकरियां खरीद कर दी गईं। इससे सरमा देवी ने बकरी पालन का कार्य शुरू किया। इससे कुछ समय बाद बकरियों की संख्या बढ़ने लगी। आज सरमा देवी के पास 8 से 10 बकरियां हैं। उन्होंने 4 पाठा–पाठी बेच कर अच्छी आय अर्जित की है।

सरकारी योजना का लाभ– जीविका ने जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर सरमा देवी को सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाया है। इसी कड़ी में मनरेगा के तहत उन्हें बकरी शेड बनवाकर दिया गया है। इससे सरमा देवी को बकरी पालने में सुविधा हो गई है। अब वह धूप–बारिश या अन्य संकटों से बकरियों सुरक्षित रख पा रही है। जीविका की मदद से उन्होंने सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी प्राप्त किया है।

सरमा देवी पहले मजदूरी कर अपने परिवार का जीवन–यापन करती थी। लेकिन सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत बकरी पालन गतिविधि से जुड़कर सरमा देवी आज आत्मनिर्भर बन गई है। इससे होने वाली आय से वह अपने परिवार का भरण–पोषण अच्छी तरह से कर पा रही है। सरमा देवी का कहना है कि जीविका से जुड़कर उनके जीवन में कई बदलाव आए हैं। अब वह अपने पैरों पर खड़ी हैं एवं अन्य जीविकोपार्जन गतिविधियों की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं।

जीविका से जिन्दगी हुई खुशहाल

जमुई जिला स्थित गौड़ा पंचायत के केवली ग्राम निवासी नीलम देवी की स्थिति बहुत ख़राब थी। लेकिन पति की मृत्यु के बाद दीदी की आर्थिक स्थिति और भी ख़राब रहने लगी। मार्च 2020 में जब कोराना महामारी की वजह से पूरे देश में लॉक डाउन लगा था, तब उस समय उन्हें काफी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। किसी तरह से परिवार का भरण–पोषण कर पा रही थी। इसी दौरान गांव में सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत सीआरपी दीदियों के द्वारा अत्यंत निर्धन परिवार को जोड़ने के लिए ड्राइव चलाया जा रहा था। इसी क्रम में सीआरपी की टीम नीलम दीदी के घर पर पहुंची। सीआरपी टीम ने नीलम दीदी की पूरी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की और इसे ग्राम संगठन में प्रस्तुत किया। चूंकि नीलम दीदी योजना के सभी मापदंडों को पूरा करती थी, ग्राम संगठन द्वारा उनका चयन योजना हेतु कर लिया गया।

योजना से जुड़ाव के बाद उन्होंने बकरी पालन करने की इच्छा जताई। इसके बाद योजना की मदद से उन्होंने बकरी पालन का कार्य शुरू किया। बकरी पालन से हुई आमदनी से उन्होंने एक किराना दुकना भी खोल लिया है। आज दीदी की मासिक आमदनी लगभग 6–7 हजार रुपये प्रति माह है। दुकान की आय और बचत के पैसे से उन्होंने एक गाय भी खरीद ली है। दीदी के पास उनके घर के आगे खेत भी है, जहाँ वह हरी साग–सब्जियाँ भी उगाती हैं जिससे उन्हें बाहर से सब्जियाँ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा दीदी मुर्गी पालन भी करती हैं, जो उनकी आमदनी का एक श्रोत भी है। दीदी के तीन बच्चे हैं, जिन्हें समय पर पौष्टिक भोजन भी मिल रहा है। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दीदी स्कूल भी भेजती है। नीलम दीदी ने अपना बीमा भी करवाया है। राशन कार्ड, घर में पीने के लिए स्वच्छ जल की उपलब्ध हैं। अपने जीवन में आए इस बदलाव की वजह वह जीविका को मानती है।

पिंकी देवी : योजना से मिला सहारा

जहानाबाद जिला के मखदूमपुर प्रखंड के पूर्वी सरेन पंचायत की रहने वाली पिंकी देवी एक अत्यंत गरीब महिला है। दीदी का परिवार पूर्व में ताड़ी व्यवसाय से जुड़ा था। इनके पति स्वर्गीय राजेश चौधरी की मृत्यु वर्ष 2015 में बीमारी की वजह से हो गई थी। दीदी दूसरों के खेत में मजदूरी कर अपने 3 बच्चों सहित पूरे परिवार का भरण–पोषण करती थी। ग़रीबी का दंश झेल रही पिंकी देवी की बदहाली देख कर वर्ष 2020 में उन्हें जीविका समूह से जोड़ा गया।

उनकी निर्धनता को देखते हुए उन्हें उसी वर्ष 2020 में सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में चयनित किया गया। चयन के उपरांत उनका सूक्ष्म नियोजन किया गया। इसमें पिंकी देवी ने फल की दुकान शुरू करने का फैसला किया। विशेष निवेश निधि के तहत उन्हें 10,000 रुपये मिले, जिससे उन्होंने दुकान हेतु कटरा बनवाया। इसके बाद उन्हें 20,000 रुपये में फलों एवं अन्य सामान खरीद कर दिए गए। इन सामानों से दीदी को मौसमी फलों की दुकान शुरू करवाया गया। पिंकी देवी ने अपने रोज़गार में विवधता लाते हुए अब दुकान के मुनाफ़े से ही एक अन्य सब्ज़ी की दुकान भी खोल ली है। साथ ही वह मुर्गी एवं बकरी पालन भी कर रही है। उन्हें सात माह तक प्रतिमाह एक–एक हजार रुपये आजीविका सहायता के रूप में भी दिया गया है।

18 महीने की अवधि में ही पिंकी देवी के जीवन में कई सारे सुखद बदलाव आए। उन्होंने अपने रोज़गार को तो आगे बढ़ाया ही है साथ ही अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई है और दुकान में नाप तौल के लिए डिजिटल मशीन ख़रीद ली है। पहले जहाँ वो दूसरो के घरों में काम कर अपने बच्चों का पेट भर रही थी, वहीं अब वह लगभग 15–16 हज़ार रुपये की मासिक कमाई कर लेती हैं। पिंकी देवी और उनके परिवार का पूरा जीवन बदल गया है। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पा रही है।

परिश्रम का फल

संधू देवी खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड अन्तर्गत बहादुरपुर गांव की निवासी है। अपने पति की मृत्यु के बाद संधू देवी पूरी तरह बेसहारा हो गई थी। परिवार को चलाने की ज़िम्मेदारी संधू देवी पर आ गई थी। परिवार का पेट भरने के लिए शुरुआत में दीदी मजदूरी करने लगी थी। लेकिन मजदूरी से महीने में महज 700 रूपये तक ही कमा पाती थी। इतने कम पैसे में परिवार का गुजारा करना मुश्किल था। ऐसे में संधू दीदी ने जमा किये कुछ पैसों से एक सिलाई मशीन खरीदी। वह समय निकालकर कपड़ों की सिलाई करती, जिससे उन्हें थोड़ी आय होने लगी। फिर भी उन्हें इतनी भी आय नहीं हो पा रही थी, जिससे वे अपने परिवार का पालन अच्छी तरह से कर सकें। वह अपने बच्चों का अच्छी तरह पढ़ाना चाहती थी ताकि भविष्य में बेहतर जीवन जी सकें।

इसी बीच, वर्ष 2019 में संधू देवी को ग्राम संगठन के द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना हेतु चयनित किया गया। चयन के उपरांत उन्हें प्रशिक्षित किया गया। इसके बाद सूक्ष्म नियोजन किया गया। संधू देवी ने मनिहारी दुकान खोलने की इच्छा जताई। इसके बाद उन्हें योजना के तहत वित्तीय मदद पहुंचाकर दुकान शुरू करवाया गया। संधू दीदी ने काफी उत्साह और लगन के साथ दुकान चलाने लगी। इस दुकान से होने वाली कमाई से उन्होंने मनिहारी की दुकान के साथ–साथ किराना दुकान भी खोल ली। वर्तमान में संधू दीदी दोनों दुकान के साथ–साथ सिलाई का भी काम कर रही है। इस प्रकार दुकान एवं कपड़े सिलाई मशीन से कुल मिलाकर प्रतिमाह औसतन 9000 से 10,000 रुपये की आय अर्जित कर लेती है। अब दीदी अच्छी तरह अपने परिवार का पालन–पोषण कर रही है। अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेज रही है।

बुरे वक्त में भी हार नहीं मानते हुए संधू देवी अपनी मेहनत, विश्वास और जीविका के सहयोग से आज तरक्की की राह पर है।

चाँदनी देवी के बेसहारा जीवन में सतत् जीविकोपार्जन योजना सहारा बनकर आया

गरीब परिवार में जन्म लेने वाली चाँदनी देवी की शादी कम उम्र में कर दी गई थी। कम उम्र में शादी और बच्चे होने से उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। असमय पति के निधन से घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। थोड़ा – बहुत जो जमा पैसे थे, वे बीमार पति के इलाज में खर्च हो गए। किशनगंज सदर प्रखंड के टेउसा पंचायत की रहने वाली चाँदनी देवी बताती हैं कि उनका जीवन समस्याओं से घिर गया था। अकेला जीवन, तीन बच्चों की जिम्मेदारी। घर–परिवार चलाना मुश्किल हो गया था। बच्चों के भरण–पोषण की समस्या आने लगी थी। किसी तरह कभी – कभार मिले मजदूरी और पास–पड़ोस, रिश्तेदारों से माँग कर जीवन–यापन करने को मजबूर थीं।

चाँदनी देवी बताती हैं कि इस विषम परिस्थिति में जीविका के माध्यम से सतत् जीविकोपार्जन योजना (एस.जे.वाई.) उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आया। वर्ष 2018 में चाँदनी देवी का चयन, अत्यंत गरीब दीदी के रूप में सरस्वती जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना की लाभार्थी के रूप में किया गया। चाँदनी दीदी ने इस योजना की मदद से घर के पास ही सूक्ष्म उद्यम के रूप में किराना दुकान खोलने का निश्चय किया। एस.जे.वाई. के तहत इन्हें दुकान बनाने के लिए 10 हजार रुपये, विशेष निवेश निधि की राशि दी गई। वहीं ग्राम संगठन के द्वारा 20 हजार जीविकोपार्जन निवेश निधि की राशि से दुकान में सामान खरीद कर दिया गया। शुरुआत में दुकान की पूँजी की सुरक्षा और दीदी के भरण – पोषण के लिए जीविकोपार्जन अंतराल राशि के रूप में सात महीने तक एक–एक हजार रुपये, कुल 7 हजार रुपये उन्हें दिया गया। चाँदनी देवी की मेहनत रंग लाने लगी। धीरे–धीरे दुकान की आमदनी बढ़ने लगी। दीदी बताती है कि उन्हें दुकान से प्रति माह 8 से 10 हजार रुपये की आमदनी हो जाती है। दुकान की कमाई से चाँदनी देवी ने 1 बीघा जमीन बटाई पर लेकर खेती करती है। अभी वह धान के अलावा बैंगन की खेती भी कर रही है। इससे भी उन्हें कुछ आमदनी हो जाती है। दुकान और खेती की आमदनी से दीदी ने गाय और बकरी पालन का कार्य भी शुरू किया है। अभी दीदी के पास दो गाय और चार बकरियाँ हैं। गाय का दूध और पाठा–पाठी की बिक्री से भी दीदी को आमदनी हो जाती है। चाँदनी देवी दुकान की कमाई से आय के दो अन्य साधन भी विकसित किए हैं।

उनके इस क्रमिक विकास, चार हजार रुपये से अधिक की नियमित मासिक आय, एक से अधिक आय के साधन विकसित करने के लिए के लिए परियोजना की तरफ से स्वावलंबन का प्रमाणपत्र दिया गया है। चाँदनी देवी बताती हैं कि सतत् जीविकोपार्जन योजना ने उन्हें आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाया है। बेहतर जीवन–यापन के साथ–साथ वह बच्चों को पढ़ा रही है। भविष्य के बारे में बेहतर सोच पा रहे हैं। इस योजना से बेसहारा जीवन में सहारा मिला। जीविका की मदद से विधवा पेंशन, राशन कार्ड सहित सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ चाँदनी देवी को प्राप्त हुआ है।

वार्षिक पूँजी – आय विवरण		
वर्ष	औसत पूँजी (रुपये)	वार्षिक आय (रुपये)
2018–2019	20000	30000
2019–2020	26000	33000
2020–2021	32000	38000
2021–2022	50000	60000
2022–2023	90000	100000

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी – कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, बेगूसराय
- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, नवादा
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार
- श्री मनीष कुमार – प्रखंड परियोजना प्रबंधक